The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now we take up the Enacting Formula. There is one amendment, No. 1, by the Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I move:

37. That at page 9, line 1, *for* the word "Fifty-second" the word "Fifty-third" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed. The question was put and the motion was adopted."

———

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) in the Chair.]

I. THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2002.

AND

II. THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2002.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (**डा. सत्य नारायण जटिया**) . माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जतियां – अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2002 पर , जिसे लोक सभा ने 2 मई , 2002 को परित कर दिया है, पर विचार किया जाए । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक , 2002 लोक सभा 2 मई , 2002 को पारित कर चुकी है । पहले विधेयक का उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों तथा

जनजातियो से संबंधित सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को ऐसे लाभ प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है जो कि उनके पुनर्वास के राज्य अर्थात गुजरात में अनुसूचित जाति एंव अनसूचित जनजाति को प्राप्त है।

दूसरे विधेयक में उड़ीसा राज्य से संबंधित अनुसूची में दो नई प्रविष्टियां , पंजाब राज्य की अनुसूची में एक नई प्रविष्टि और पश्चिम बंगाल की अनुसूची में एक नई प्रविष्टि करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यो की अनुसूचियों में पर्याय के रूप में भी जातियो को सूची में शामिल करने का प्रस्ताव इस विधेयक में शामिल है। उड़ीसा के संदर्भ मे दो प्रविष्टियो के निरसन का प्रस्ताव है। तात्पर्य यह है कि उन जातियो को – जो कि अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया के अनुसार ठीक पाई गई है – इन विधेयकों के द्वारा संबंधित अनुसूची में शामिल किया जाए , ताकि इन जातियो के लोगो को वे सब लाभ प्राप्त हो सके जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल लोगो को प्राप्त होते है। मै यह प्रस्ताव करता हूं कि इन विधेयको को पारित किया जाए।

The questions were proposed.

श्री संघ प्रिय गौतम (उतरांचल) उपसभाध्यक्ष महोदय, देखने में तो यह विधेयक बहुत छोटा सा लगता है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत बडी है। इसलिए इस पर मुझे बोलना पड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री नीलोत्पल बसु**) : मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) . 31 दिसम्बर, 1930 को गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेते हुए बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय तत्कालीन डिप्रेस्ड क्लासेज – जिन्हे आज अनुसूचित जाति कहते है – का पक्ष प्रस्तुत किया था, और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनने जा रहा था ।उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन वर्गों को कुछ सुविधा मिले,इस प्रकार से अपनी बात की थी। उन्होने उस समय यह कहा था कि ये अनुसूचित जतियो के लोग संख्या में कम है , शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े है, समाज में बहुत नीचे है और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है इसलिए उनको सुविधाएं चाहिए। तदनुसार आरक्षण के रूप में 1935 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था की गयी और पहला अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति आदेश 1936 मे जारी किया गया। यह पहला आदेश नही है, 1950 का पहला आदेश 1936 में जारी हुआ। इसके बाद ही संविधान सभा बैठी और भारत के संविधान का निर्माण 1950 में हुआ। उसके बाद दूसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में जारी हुआ। जिस, राज्य में जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में आती है वे उस आदेश में सूचीबध्द कर दी गयी और उस समय से अब तक कुछ जातियां नयी जोड़ी जाती रही है तथा कुछ निकाली जाती रही है, कुछ गलती से निकाली गयी है। इसी प्रक्रिया मे आज यह विधेयक लाया गया है। लेकिन महोदय, 1931 तक जो जनगणना इस देश में हुई थी वह जाति के आधार पर हुई थी। उसके बाद जाति के आधार पर जनगणना बंद कर दी गयी और धर्म तथा मजहब के आधार पर जनगणना होती रही। अब पिछले दिनो से आजादी के बाद इकट्ठा, धर्म और मजहब तथा अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति के आधार पर जनगणना होती रही है । अभी 2001 में जो जनगणना हुई है वह भी इसी आधार पर हुई है । लेकिन यह जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची जारी होती है, आखिर उसका अभिप्राय क्या है । असली अभिप्राय यह है कि हमारे संविधान में जो इन जातियों के लिए सुविधाएं प्रदत्त की गयी है, उनका लाभ इनको पहुंचे और वे अनुसूचित जातियां कौन है, इसलिए उनको सूचीबध्द करना बहुत आवश्यक है । मगर महोदय, केवल सूचीबध्द करने से ये लाभ नही पहुंच जाएंगे । जटिया साहब , मै आपका ध्यान चाहूंगा । पहले तो आउटराइटली तीन जातियां आप इसमे जोड़े, फिर मै अपनी बात कहूंगा । 1947 में बंगाल का जब बंटवारा हुआ, हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना तो बड़ी संख्या में नमोशूद्र हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे जो अनुसूचित जाति के कहलाते है । आप बहुत अच्छी तरह से जानते है । कि वे उत्तरांचल के ऊधमसिंह नगर जिले में तब से आज तक बसे हुए है और लाखो की संख्या में है । लेकिन अभी तक उनको अनुसूचित जाति की सूची में नही लाया गया है । इसलिए मेहरबानी करके आप उत्तरांचल के ऊधम सिंह नगर जिले में अन्यथा और जगहो पर बसे हुए उन नमोशूद्र जातियो के लोगो को अनुसूचित जाति में लाएं । ठीक इसी तरह से 1950 में उत्तर प्रदेश में जसवार जाति भी अनुसूचित जाति मे शामिल थी, लेकिन किसी क्लैरीकल एरर से, कलम की गलती से वह जाति छूट गई और आज वह सूची में नही है । इस जसवार जाति को आप सूची में शामिल कर लें । महोदय, एक बहुत विशेष बात है , महाराष्ट्र में जब नागपुर में 14 अक्तुबर 1956 को बाबा साहेब डा. अंबेडकर ने धर्मातरण किया, बुध्द धर्म को स्वीकार किया, तो उनके साथ लाखो लोगो ने बुध्द धर्म को स्वीकार किया था । उसके बाद ही उन्होने अपने आपको 1961 की जनगणना में नव बुध्दिस्ट, नव बौध्द लिखा और वे अनुसूचित जातियो की सूची से निकाल दिए गए और वहां पर उस समय 36 विधान सभा की सीटें आरक्षित थी और 6 लोक सभा की सीटें आरक्षित थी, लेकिन जब उस सूची से अनुसूचित जाति के लोग निकाल दिए गए और नव बौद्ध उनको लिख दिया गया तो उनकी संख्या उस सूची में कम हो गई और वहां पर लोक सभा की आरक्षित सीटें 6 से घट कर 3 रह गई और विधान सभा की सीटें 36 से घट कर शायद 18 रह गई । लेकिन इसी सदन में 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, एक संविधान संशोधन हुआ और यह कहा गया कि जो नव बौध्द है वे भी अनुसूचित जाति के लोग माने जायेगे और जिस तरह से सिख और जैन हमारे संविधान की धारा 25 में हिस्दुओं की श्रेणी में इस कारण से, इस हेतु गिने जाते है, बौद्यों भी उसी तरह से गिने जायेंगे और 1990 से ये सारी सुविधाए अनुसूचित जातियो की इन लोगो को मिल रही है जो नव बौध्द अपने को लिखते है और अपनी जाति लिखते है । लेकिन मंत्री महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उनको अनुसूचित जाति की सूची में दोबारा से सूचीबध्द नही किया गया और बड़ा भारी नुकसान उनको तीन लोक सभा सीटो का और 13 विधान सभा सीटो का हो रहा है । इसलिए तुरंत आप उस संशोधन के अनुसार जो 1990 में धारा 25 में हुआ, वहां के नव बौध्द को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबध्द करायें । महोदय, इस संबंध में मै जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अनुसूचित जाति के लोगो को सूचीबध्द करने से इन्हे क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले जो लाभ इनको मिलते थे वे तो सब वापस हो गए । सब से पहला लाभ इन्हे सरकारी नौकरियो का था और इन्ही से इनका सिर ऊंचा उठा था । अब सरकारी नौकरियो पर नियुक्तियां बंद हो गई है और जो पुराने है, उनकी छंटनी हो रही है, नई भर्ती कोई हो नही रही है, तब इन्हे क्या लाभ मिलेगा ? बहुत से सरकारी संस्थान निजीकरण में जा रहे है और वहां पर आरक्षण पध्दति लागू नही है, जबकि बहुत से निजी संस्थान सरकारी बैंको और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से

पैसा ले करके चलते है । सरकारी जमीन कोड़ियो के दामो में लेते है और सरकार से सहायता लेते है । तब तो वहां पर यह पध्दति लागू होनी चाहिए , लेकिन नही है । इसलिए उनको कोई लाभ पहुंच नही रहा है । पहले अनुसूचित जाति , जनजाति के लोगो को अपने कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए , भैंसो के लिए, बैलो के लिए , घोड़ा-तांगे के लिए, बकरियों के लिए, जमीन के लिए और छोटे-मोटे कारीगरी,दस्तकारी के काम चलाने के लिए बैंको से पैसा मिलता था, लेकिन अब सारे बैंक कमर्शियल बैंक हो गए है और कोई बैंक इनको पैसा देता नही है ।इसलिए कोई लाभ भी इनको मिल नही रहा है । सरकार की जो स्पेशल कंपोनैंट प्लान की योजना है और आबादी के अनुसार इन अनुसूचित जातियों के लिए जो पैसा राज्यो को दिया जाता है वह इन पर खर्च नही होता है , वह दूसरी मद मे खर्च होता है या फिर दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है । उस पैसे का भी कोई लाभ इनको पहुंच नही रहा है । हमारे देश में जो ज़मीन थी, जंगल,ऊसर, परती, कलर, नाले और जो चकबंदी से बची, हदबंदी से बची, जो समुद्र से कटी, जो पानी में डुबी इस तरह की करीब 40 हजार करोड़ एकड़ भूमि देश में पड़ी हुई है । वह जमीन भी इनको आवंटित नही होती , जबकि ज्यादातर ये खेतिहर मजदूर है । इसलिए जमीन इनको मिलती नही है । इसके अलावा मान्यवर, पहले जो मकान बनते थे, मै धन्यवाद देता हूं कि अब यह योजना शुरू हुई है ..... पहले इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान बनते थे, वे मकान भी इन के लिए बनने बंद हो गए है और छोटे-मोटे काम जो ये गांवो में लोहार का, सुनार का, मोची का, बर्तन बनाने का, कुम्हार का कर लेते थे, वे काम भी गांवो में बंद हो गए और वहां इन को काम नही मिलता , इसलिए अब ये शहरो की ओर भाग रहे है । इस के अलावा आरक्षण का या संवैधानिक प्रावधानो का लाभ भी इन को नही पहुंच पा रहा है । मान्यवर, हम ने धारा 46 में कहा है कि इन का एजुकेशनल और इकॉनोमिक एडवांसमेंट करेंगे जोकि हमारे डायरेक्टिव प्रिसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, लेकिन "चौबे जी गए थे छब्बे जी होने, दुबे जी रह गए ।" इसी तरह जो सरकारी शिक्षा थी, वह भी अर्थहीन हो गयी । आज देश में सैकड़ो, हजारो की संख्या में प्राइवेट इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजेज चल रहे है । ये प्राइवेट शिक्षा बड़ी कीमती है जिस कारण जितने पब्लिक स्कूल्स/कॉलेजेज है उन में अनुसूचित जातियो के बच्चो का दाखिला हो नही सकता । उन में दाखिला 2 लाख, 5लाख और 10 लाख देकर मिलता है । इस तरह इन की शिक्षा बिल्कुल बंद हो गयी है और अनुसूचित जाति , जनजाति का कोई बच्चा न इंजीनियर बन सकता है, न डॉक्टर बन सकता है । तो यह संविधान की धारा 46 कि हम इन का एजुकेशनल और इकॉनोमिक एडवांसमेंट करेंगे , बिल्कुल निरर्थक कर दी गयी है । मान्यवर, अब केवल एक चीज बाकी बची है विधान सभाओ व लोक सभा में आरक्षण जोकि 10 साल तक रहेगा, लेकिन आज उस मे भी बेईमानी हो रही है । हमारे उत्तर प्रदेश में अवर्ण लोग शेडयूल्ड कास्ट के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर रिजर्व सीटो पर चुनाव लड़ रहे है । हम मना करते है तो हमारी पार्टी के नेता कहते है कि सर्टिफिकेट मौजूद है । यहां तक कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग नौकरी कर रहे है क्योंकि जब सर्टिफिकेट है तो अनुसूचित जाति का माना ही जाएगा । हम गांव में रह रहे है, इसलिए यह देख रहे है । तो वे सीटे भी उन को नही मिल रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप जरा धीरे बोलिए क्योंकि आप की आवाज टूट रही है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपसभाध्यक्ष महोदय, फिर पहचानेगा कौन कि संघ प्रिय गौतम बोल रहे है।

श्री संघ प्रिय गौतम : अब उन को विधान सभाओ और लोक सभा में आरक्षण का लाभ भी पूरा नही मिल पा रहा है।

मान्यवर, इन वर्गो के हित, विकास और कल्याण के लिए हमारे यहां तीन संगठन है – एक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति , जन जाति आयोग जिस की रिपोर्ट पहले हर वर्ष संसद में पेश होती थी और उस पर चर्चा व बहस होती थी। अब पिछले वर्षो से हम देख रहे है कि उस पर कोई बहस नही होती है। इस के अलावा यह अनुसूचित जाति , जनजाति आयोग जो सिफारिशे करता है , वे भी बेमानी है क्योंकि वे सिफारिशे मानी नही जाती है। दूसरे, अनुसूचित जाति , जनजाति के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी संसदीय संयुक्त समिति है जिस में कि 30 सासंद होते है – 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा के। वह समिति भी हर वर्ष अपनी सिफ़ारिशे व रिपोर्ट प्रस्तुत करती है , लेकिन उस की कोई रिकमंडेशन नही मानी जाती जिस से उस का कोई लाभ इन वर्गो को नही पहुंच रहा है। तीसरे , अनुसूचित जाति , जनजाति के सांसदो का एक संसदीय मंच है जिस में डेढ सौ सांसद है। संयोग से मै उस का अध्यक्ष हूं, लेकिन एकाध सिफ़ारिश को छोड़कर उस की सिफारिश भी नही मानी जाती और जो मानी जाति है, वह लागू नही होती। मान्यवर, तीन बार संविधान संशोधन हुआ, एक तो यह कि प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप कुछ कर रहे है ?

श्री संघ प्रिय गौतम : कर रहे है, वह भी बता देगें । ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : संयोग है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, संविधान की धारा 16.4.1. के तहत प्रोन्नति मे आरक्षण हुआ है ,लेकिन उसे लागू नही कर रहे है । इस के बाद एक संविधान संशोधन हुआ कि बैकलॉग की वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा और उस के लिए विशेष नियुक्ति अभियान चालू होना चाहिए लेकिन वह नही हो रहा है। तो वह लागू नही हो रहा। तीसरा यह है कि ज्येष्ठता उसी क्रम में निर्धारित की जाएगी जो परमोट हो गए है वह डिमोट नही होंगे वह भी लागू नही किया गया। तो क्या लाभ मिल रहा है ? ऐसी सूची तैयार करने से क्या फायदा, जब आप इन लोगो को कोई लाभ पहुंचा ही नही रहे है ?

उपसभाध्यक्ष महोदय , मै लंबी बात न करके दलितो पर होने वाले अत्याचारो की बात करूंगा कि रोजाना इन वर्गो के लोगो पर कैसे अत्याचार, जुल्म हो रहे है। अभी तीन-चार दिन में कितनी घटनाएं घटी है , वह मै आपको बताना चाहूंगा। मंत्री जी, आपके प्रदेश , मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया , वह भी सरपंच

महिला के साथ । बिहार के गोपालपुर जिला मे अभी तीन-चार दिन पहले चार दलितों की हत्या की गई ।

प्रो.रामदेव भंडारी (बिहारी) : आपकी ही पार्टी के वर्कर उस हत्याकांड में थे । **...(व्यवधान)** ...

श्री संघ प्रिय गौतम : आप बात को सुना करे । तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने की है, यादवों ने की है । अभी चार दलितों की हत्या आपके पुरेना गांव, थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज में की गई है । आप जिनकी तारीफ करते हो, मै नाम नही लेता **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : गौतम जी, देखिए, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे है, इस बात का उससे संबंध नही है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, मै एट्रोसिटीज ओन शेडयूल्ड कास्टस एंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज का बता रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : एट्रोसिटीज तो अलग बात है । जो ऑर्डर है , उससे इसका कोई मतलब नही है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : बिल्कुल है, सर । अगर अनुसूचित जाति और जनजाति आपने लिख दिया और उस पर अत्याचार होते है तो उसके लिए कानून है – अनटचएब्लिटी ऑफेन्स एक्ट, **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : उस एक्ट पर हम यहां चर्चा नही कर रहे है । संविधान आदेश वाली बात पर चर्चा कर रहे है । **...(व्यवधान)...**

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, इससे संबंधित है । इन दलितों को किसने मारा ? बापू मियां के गिरोह ने , मुसलमानो ने मारा है, जिनकी तुम हिमायत करते हो । **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इसके साथ इसका कोई संबंध नही है । **...(व्यवधान)...**

श्री संघ प्रिय गौतम : यादवों ने मारे है, जिसकी तुम वकालत करते हो । **....(व्यवधान)....**

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : गौतम जी , आप मुझे संबोधित करके बोलिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मै आपको ही देखकर बोल रहा हूं , सर । **...(व्यवधान)...**

6.00 p.m.

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इसमें आप मुस्लिम वाली बात बिल्कुल ही मत लाइए । यह बिल्कुल ही अलग बात है । ....(**व्यवधान**)....

श्री संघ प्रिय गौतम : तो मैं यह कह रहा था कि इनके यहां कहते है – सूप बोले तो बोले, छलनी बोले तो हजारो छेद । सबसे ज्यादा दलित बिहार में मारे जा रहे है , लालू जी के यहां मारे जा रहे है और ये लोग मरवा रहे है । ...(**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात के अंदर पचास से ज्यादा दलित मारे गए है और उनको किसने मारा है, जिनकी यह वकालत करते है । ...(**व्यवधान**)... मेरे पास सारे आंकड़े है ।

प्रो.रामदेव भंडारी . वहां हजारों लोग मारे जा रहे है , जो आप गुजरात की बात करते हो तो वहां मारने वाले आपके ही लोग है । ...(**व्यवधान**) ...

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मै यह कहना चाहता हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए । मै सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)...मंत्री जी, आप जरा ध्यान दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मंत्री जी, गौतम जी इतनी गंभीर बात कर रहे है , आप उनकी ओर ध्यान दीजिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : नंबर एक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज की संयुक्त संसदीय समिति, सांसदों का अनुसूचित जाति या जनजाति संसदीय मंच , इनकी जो भी सिफारिशे सरकार के पास आएं , सरकार को उन सबको स्वीकार करना चाहिए । नंबर दो, बैंकलोग पूरा करने के लिए विशेष नियुक्ति अभियान चलाना चाहिए । नंबर तीन , आरक्षण पद्धति निज़ी संस्थानो में भी लागू होनी चाहिए । नंबर चार , जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और आर्थिक सहायता इन लोगो तक नही पहुंचती , जो इनके लिए निर्धारित है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर आफिस में एक अलग मोनेटरिंग सेल होना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री खुद करे ताकि इन योजनाओं का पूरा लाभ उन लोगो को मिल सके । नंबर पांच, एट्रोसिटीज रोकने के लिए जो प्रिवेशन आफ शेडयूल्ड कास्टस एंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए । इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में कुछ ऐसे काम कॉटेज इंडस्ट्रीज में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में उनको मिलना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : गौतम जी, एक मिनट रूक जाइए । 6.00 बज गए है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, मै एक-दो मिनट में खत्म कर दूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) . ठीक है, इनके भाषण को खत्म हो जाने दीजिए , उसके बाद हाऊस ऊेडजार्न कर देगे क्योंकि कुल मिलाकर 16 स्पीकर्स है । ये दो मिनट में खत्म कर देगे , इनका टाइम भी समाप्त होने जा रहा है ।

श्री संघ प्रिय गौतम . मान्यवर, मै तमाम राजनीतिक दलों से और सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि इन गरीबों को और तो कुछ मिला नही , समाज में इनका माथा ऊंचा हो जाए, इन्हें मान-सम्मान मिले इसके लिए एक नेक काम यहां के राजनीतिक दलो ने किया था कि एक दलित को राष्ट्रपति बनाया था, इसलिए मेरा कहना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से किसी एक पद पर किसी दलित को चुना जाए । धन्यवाद ।

प्रो. रामदेव भंडारी . मान्यवर, बी.जे.पी. इन पर ऊेट्रोसिटी कर रही है, इन्हे मंत्री नही बना रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) . नही, नही । आप बैठिए, आपका नाम लिखा हुआ है,आपका जब टाइम आएगा , आप तब बोलिएगा । The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House, then, adjourned at one minute past six of the clock, till eleven of the clock on Friday, 10th May, 2002.